

[9/7/2019]

प्रश्न सं. [क. 244]

विधानसभा सत्र जुलाई-2019 का (अतारांकित प्रश्न क्रमांक:-244) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया दि. 01 / 07 / 2019 से दि. 09 / 07 / 2019 के प्रश्नावार (क) का

उत्तर का परिचय "अ" पेज संख्या 01 से 02 तक

परिचय - "अ"

प्राप्त शिक्षायत पर की गई कार्यवाही	शिक्षायत कहाँ की गई	शिक्षायत का विषय	शिक्षायत का नाम	शिक्षायत किये गये निजी चिकित्सालयों की सख्त्या	जिले का नाम	जिले में पर्याप्त निजी चिकित्सालयों की सख्त्या
जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।
जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।
जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।	जॉन के आधार पर चिकित्सक निवैष पाई गई।

मुख्य राज्य सचिव
राज्यालय स्थानीय विभाग

परिवेश - ३

जिले का नाम	जिले में पंजीकृत निजी चिकित्सालयों संस्थाओं की संख्या	शिकायत किये गये निजी चिकित्सालय का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विषय	शिकायत कर्ता की गई	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्रवाई
मनुषोर	67	डॉ. मुकेश बागड़ी	माजे पिता मुकेश चन्द्र पटेलदार	पेयोलॉजी जौच के संबंध में।	श्रीमय संचालक स्वास्थ्य संबंध में। उज्जैन संभाग कार्यालय।	डॉ. सोरभ मड्डारिया फेयलाजी द्वारा जौच की गई। जिसमें डॉ. मुकेश बागड़ी द्वारा की गई जौच रिपोर्ट सही पाई।
4		डॉ. सुरेश जैन	श्री अजय रतड़ीय	शुठी जौच रिपोर्ट के संबंध में।	श्रीमय संचालक स्वास्थ्य संबंध में। उज्जैन संभाग कार्यालय।	ओषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा जौच की गई शिकायत कर्ता के द्वारा अपने पक्ष में केसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।
आगर-मातवा	8	चूओ श्री.डी. आगर के उपकर प्रबंधक एवं सदालालक डॉ.एस.आर. चौहान, श्री शमसुद्दीन पिता अंती मोहम्मद	श्रीमती प्रेम बाई पति फर्जी पर्याणी के अंपरेशन संबंधित शिकायत	जनरुनवाई में।	कलेक्टर जिला आगर-मातवा के द्वारा कराई गई जौच उपरान्त एफआईआर. क्रमांक/ 0041 दिनांक 14/01/2019 दर्ज कराई गई।	
देवास	40	अमलताल मोडिकल कॉलेज देवास संस्था	निलोकर पति तसलीम शेख	गलत उपचार के संबंध में।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जौच कर निराकरण किया गया।
		संस्काल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	श्रीमती पावरी पति रतनलाल	गलत उपचार के संबंध में।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जौच कर निराकरण किया गया।
		सिटी हॉस्पिटल देवास	बनोसिंह पिता मांगीलाल	गलत उपचार के संबंध में।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जौच कर निराकरण किया गया।
		देवकर निसेंग होम देवास	कैलाला पिता विश्वाम	गलत उपचार के संबंध में।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जौच कर निराकरण किया गया।
		रोपत नासिंग होम नाहर देवास	नाम गोपनीय देवास	गलत उपचार के संबंध में।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जौच कर निराकरण किया गया।
		आदेया नासिंह होम देवास	जुलराम विश्वाम	गलत उपचार के संबंध में।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जौच कर निराकरण किया गया।
		देवास हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	सलमान पिता सलीम	गलत उपचार के संबंध में।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जौच कर निराकरण किया गया।
नीमच	112	किसी निजी स्वास्थ्य संस्था के विलङ्घ नोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	निरक	निरक	निरक	

विधानसभा सत्र जुलाई-2019 का (अतारांकित प्रश्न क्रमांक:-244) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
दि. 01/07/2019 से दि. 09/07/2019 के प्रश्नांश (ख) का उत्तर का परिशिष्ट "ब" पेज
संख्या 01

क्र.	जिले का नाम	सर्जन के कुल स्वीकृत पद	सर्जन के कुल रिक्त पद
1	मन्दसौर	15	13
2	शाजापुर	8	5
3	उज्जैन	15	10
4	आगर-मालवा	7	6
5	देवास	12	10
6	नीमच	9	8
7	रतलाम	7	6
कुल		73	58

(Signature)
मन्दसौर संचालक (अस्प. प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेत्तर
मध्यप्रदेश,